



दस्तावेज द्रस्ट (न्यास)

हम कि श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी रव० रामजी तिवारी व राकेश तिवारी पुत्र रव० रामजी तिवारी
ग्राम-देवली सलामतपुर, जनपद-गाजीपुर इस द्रस्ट के संस्थापक द्रस्टी हैं जो दिनांक 24-12-2010 को अस्तित्व
में लाया गया। हम संस्थापक द्रस्टी राष्ट्रीय एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा,
जागरूकता, शिक्षा, रक्षास्थ शिक्षा, गरीबों के उत्थान एवं अनुसृष्टि जाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष
लक्ष्य रखने के कारण इस द्रस्ट की स्थापना करते हैं। मैं श्रीमती रामप्यारी देवी मुख्य संस्थापक द्रस्टी प्रथम व
श्रीमती तिवारी महासचिव संस्थापक द्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए गोपीनाथ विद्या द्रस्ट की स्थापना करने की
शीघ्रता करते हैं द्रस्ट का नाम यता निम्नलिखित है।

द्रस्ट (न्यास) का नाम-

गोपीनाथ विद्या द्रस्ट

द्रस्ट का पता-

ग्राम देवली

पोस्ट सलामतपुर

थाना कासिमाबाद

परगना जहूराबाद

तहसील मुहम्मदाबाद

जनपद गाजीपुर (उ० प्र०)

मुख्यालय-

पंजीकृत कार्यालय ग्राम-देवली, पोस्ट-सलामतपुर, जनपद-गाजीपुर (उ० प्र०)
आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

द्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने द्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये हैं।

- (1) श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी रव० रामजी तिवारी, देवली सलामतपुर, गाजीपुर (मुख्य संस्थापक द्रस्टी प्रथम)
- (2) श्री राकेश तिवारी पुत्र रव० रामजी तिवारी, देवली सलामतपुर, गाजीपुर (महासचिव संस्थापक द्रस्टी द्वितीय)
- (3) श्री राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र रव० लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, पर्खईपुर (कुशगाँव), मऊ (सदस्य)
- (4) श्रीमती कामेश्वरी त्रिपाठी पत्नी रव० गोपीनाथ त्रिपाठी, छेदापुर, औरंगाबाद, मऊ (सदस्य)

११ मध्याह्नी

२१०६२१५०१८

भारतीय गोर न्यायिक

एक सौ रुपये

₹. 100



Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 839340

(2)

- (a) श्री विष्णु विहारी द्विवेदी पुत्र श्री लालविहारी द्विवेदी, दोहरीघाट, मऊ (सदस्य)
- (b) श्री मूलचन्द पुत्र रवि रामरामोसा, भीटी, मऊनाथ भंजन, मऊ (सदस्य)
- (c) श्रीमती सुधा त्रिपाठी पत्नी श्री राकेश तिवारी, देवली सलामतपुर, गाजीपुर (सदस्य)
- (d) श्री शिवम त्रिपाठी पुत्र श्री राकेश तिवारी, देवली सलामतपुर, गाजीपुर (सदस्य)
- (e) श्रीमती सुगन्धा द्विवेदी पत्नी श्री मनोज द्विवेदी, पखईपुर (कुशमीर), मऊ (सदस्य)

ट्रस्ट का नाम— गोपीनाथ विद्या ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता— ग्राम—देवली, पोस्ट—सलामतपुर, जनपद—गाजीपुर

ट्रस्ट का मुख्यालय— ग्राम—देवली, पोस्ट—सलामतपुर, जनपद—गाजीपुर

ट्रस्ट का कार्यक्रम— उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य— ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ यानि प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय, विकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंदरूनी मध्यम व कमज़ोर घर्ग के साथ-साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना है। प्रोढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व हांगीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था करना एवं संचालन करना, शिक्षा का देश-प्रदेश के कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, संस्थानों की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट हर सम्भव प्रयत्नशील रहेगा। ट्रस्ट भूमि भवन व पैरौजी की व्यवस्था कर देश-प्रदेश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्वन, मध्यम व दलितों को आत्म निर्भर कर उनको जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक, वृद्धा आश्रम, संस्था आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक परिकार, अखबार, लाईब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन


१५५१ रुपये

२०५५ रुपये

भारतीय नौर न्यायिक

एक सौ रुपये

₹. 100



Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

संघीय बण्डन

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 839341

(3)

जरना, नर्सिंग होम की स्थापना करना, ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला व राज्य प्रशासन का समय साधन से समय-समवय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना एवं बी०टी०सी०, बी०ए०ड०, बी०पी०ए०ड०, टेक्निकल कालेज, सी०बी०ए०स०ई० के स्कूलों की स्थापना करना उ० प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश-विदेश से चन्दा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना। ट्रस्ट के माध्यम से गविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेंगी उनका नाम ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। और सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना।

ट्रस्ट का कार्यकाल— ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी की पत्नी/पुत्र या पुत्रवधु/पुत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को वारण करेंगे, इनके न रहने पर ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता— गोपीनाथ विद्या ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता— ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को निलाकर कुल सदस्यों की संख्या 9 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम, द्वितीय की सहमति से रु० 51,000.00 (इक्यावन हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये संस्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त रु० 51,000.00 (इक्यावन हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा परन्तु प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा।

मार्गदर्शक

२१०५२११०११

भारतीय गोर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 839342

(4)

द्रस्टी के अधिकार/एवं कर्तव्य—

मुख्य संस्थापक द्रस्टी प्रथम—

- 1— संरक्षक द्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संरक्षा के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।
- 2— मुख्य द्रस्टी द्वारा द्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमन्य होंगे।
- 3— संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 4— किसी भी विचारणीय पिंड पर समानमत होने पर एक निर्णायक भत्ता देना।
- 5— आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वयित करना।
- 6— द्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
- 7— द्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं द्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए साधारण इकट्ठा करना व द्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत करना मुख्य द्रस्टी का कर्तव्य होगा।
- 8— मुख्य द्रस्टी द्वारा संरक्षाओं के लिए भूमि भवन का क्रय-विक्रय लीज (पट्टा) करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा।
- 9— मुख्य द्रस्टी चल-अचल सम्पत्तियों को द्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच-या खरीद सकता है।
- 10— मुख्य द्रस्टी द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है।
- 11— संरक्षा के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक द्रस्टी के पास सुरक्षित है।
- 12— संस्थापक/मुख्य द्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक द्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।
- 13— किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (द्रस्ट) में कर सकता है।

प्रमाणी देवी

१०५ २११५ ०१६

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

सरायेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

100100
100100 100100
100100 100100
100100 100100
100100 100100
100100 100100
100100 100100

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 839343

(5)

महासचिव संस्थापक द्रस्टी हितीय-

- 1— माला संस्थापक द्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक द्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य द्रस्टी को अवगत करायेगा।
- 2— बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
- 3— द्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा—निर्देश देना।
- 4— नये सदस्यों के लिए खबरसाक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य द्रस्टी की अनुमति से जारी करना।
- 5— द्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने सत्त्वा में कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव संस्थापक द्रस्टी को होगा परन्तु इसके लिए संस्थापक/मुख्य द्रस्टी की अनुमति आवश्यक होगी।
- 6— द्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय रखापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा द्रस्ट (न्यास) के हित में समर्त कार्यों का सम्पादन करना।
- 7— अन्य सभी अधिकारों वज्र प्रयोग करना जो नियमानुसार होंगे।
- 8— द्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक द्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य द्रस्टी—

जाधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं द्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं द्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

द्रस्ट (न्यास) के अंग--

द्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

- 1— साधारण सभा
- 2— प्रबन्धकारिणी द्रस्ट

साधारण सभा (गठन)—

साधारण सभा का गठन द्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु द्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें द्रस्ट के सदस्य भी समिलित होंगे इसके अतिरिक्त 51,000.00 रु. संस्थापक/मुख्य द्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं किन्तु ये सदस्य द्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगे एवं इनकी अधिकतम संख्या 09 होगी तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

(मध्यस्थी देवी)

२०८२-२३-११-११

आरतीय ग्रंथालय

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यगीता शब्दों

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 839344

(6)

३८०

- साधारण बैठकें—ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी।
 - विशेष बैठक— दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बलाई जा सकती है।

सूचना अवधि— साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासंघिव, संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दरती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है। **गणपूर्ति—** बैठक में रादर्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष यार्थिक अधिवेशन— साधारण सभा का विशेष यार्थिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होता।

द्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य— साधारण सभा द्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

(३) वापक आवधि-व्यवं बजट बंक करना।
 (४) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।
 (५) समाजिक विकास की दिशा में विकास करना।

(८) प्रबन्धकारण दस्ता समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(d) ट्रस्ट (च्यास) के विकास के लिए समय-समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित में हो।

द्रस्ट (नास) की प्रबन्धकारिणी समिति—

गठन— साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद हाँगे। प्रबन्धक, सचिव/मत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा।

ପାତ୍ରମିଳିବା

9/20/2011

भारतीय गोर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 839345

(7)

ट्रस्ट ड्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

वैठकों—

सामान्य— सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव / संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष— विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की माँग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि— साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दर्सती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति— प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपरिथित में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति— यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर वा ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की अनुमति

(मान्यता/देव)

२१०५ २१०६ ७१८१



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 029988

(8)

आवश्यक है यह प्रक्रिया संरक्षणक द्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/मुख्य द्रस्टी की अनुमति से $2/3$ बहुमत के अतिरिक्त ₹1,000.00 रुपये नगद या उत्तरने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य द्रस्टी अथवा महासचिव द्रस्टी के हस्ताक्षर से जिर्गत होनी आवश्यक है।

- प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति के कर्तव्य— प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।
- 1— बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
 - 2— द्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा द्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
 - 3— द्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।
 - 4— आय-व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण द्रस्टी समा के सामने प्रस्तुत करना।
 - 5— द्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया— समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसास प्रबन्धकारिणी द्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी द्रस्ट (न्यास) को होगा।
 - 6— द्रस्ट (न्यास) के कोष— द्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/मुख्य द्रस्टी, महासचिव संरक्षणक द्रस्टी/महासचिव द्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु द्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन द्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

(मान्दीरी देवी)

२१०६ २१०८ ११११

भारतीय रुपैयांक

बीस रुपये

भारत

Rs.20

₹.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 029990

(9)

23— द्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा परीक्षण—

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी गोमय आडिटर से संरथा का आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24— द्रस्ट (न्यास) हारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व—

द्रस्ट (न्यास) हारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

25— द्रस्ट (न्यास) के अभिलेख—

द्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे—सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, रटाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक/मुख्य द्रस्टी के पास होंगे।

26— गोपीनाथ विद्या द्रस्ट (न्यास) के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से ₹0 25,000.00 (पचास हजार रुपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध हैं।

27— द्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही — द्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

28— द्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में द्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्थानित संस्थापक/मुख्य द्रस्टी का होगा।

29— हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, विक्रित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक आदि की स्थापना एवं उसका संचालन करना।

मध्यरी के की

१००० रुपये वाली

भारतीय गैर स्थायिक

बीस रुपये

भारत

Rs.20

₹.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 029987

(10)

20वीं— संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए. एटीजी, 10/23 व 35 एकट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना। यह संस्था हानि-लाभ रहित (No Profit No Loss) के अन्तर्गत पंजीकृत है।

20सी— केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संवालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

20डी— आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा। इस्ट अपने संस्थाओं का विकास के लिए किसी भी सहकारी/अर्द्धसहकारी शाष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण (Loan) ले सकता है।

दिनांक : 24-12-2010

गैर स्थायिक

२१०५२०११

दस्तखत गवाह मुकुल शर्मा डॉली अधिकारी पाठ्य, गालिबपुर जटी, बीजू

५ अक्टूबर २०११ द्वा० शिवकुमार त्रिपाठी

३१५ पोर्ट गाइली क्लिनिक्स, लिपुर, तालीम सदर - गाजीपुर